

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::

क्र. 669/एफ 2019-04-00537/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.10.2023
प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के
लेवल 15 में संशोधन
संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 19 मई,
2017.

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 19
मई, 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन
पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है। उक्त अधिसूचना की अनुसूची-एक में वेतन बैण्ड
37400-67000 ग्रेड वेतन 8700 के लेवल 15 से संबंधित प्रविष्टियों में संलग्न अधिसूचना अनुसार
संशोधन प्रतिस्थापित किया गया है।

संलग्न:- अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

//2//

पृ. क्र. 670/एफ 2019-04-00537/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.10.2023
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु


अवर सचिव
वित्त विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 — अश्विन 14, शक 1945

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

अधिसूचना

एफ क.652/2019-04-00537/वित्त/नियम/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-एक में, वेतन बैंड 37400-67000 के ग्रेड वेतन 8700 के लेवल 15 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“8700
15
123100
126800
130600
134500
138500
142700
147000
151400
155900
160600
165400
170400
175500

